## <u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर आर सी टी 32/18</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—39/18</u> संस्थापित दिनांक—22.02.18

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

अभियोजन

## विरुद्ध

01—आदिल हुसैन पुत्र अब्दुल माजिद आयु 68 वर्ष
02—सदाकत हुसैन पुत्र अब्दुल समद आयु 60 वर्ष
03—खालिद हुसैन पुत्र आदिल हुसैन आयु 33 वर्ष
04—हुक्कुल यकीन पुत्र एनुल यकीन आयु 58 वर्ष
निवासीगण बाहर शहर चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

आरोपीगण

राज्य द्वारा

:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।

आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 07.03.2018 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 452, 294, 323, 506,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी एवं आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323, 506 भाग दो के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 452 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अब्दुज हमीद ने दिनांक 05.01.18 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 05.01.18 समय 08:00 बजे फरियादी के घर बाहर शंहर चंदेरी में आरोपीगण घुस आए तथा मां विहन की गालियां दी एवं फरियादी के साथ तथा उसकी पत्नी एवं बहुओं के साथ लात घूसों से मारपीट की एवं जाते—जाते बोल रहे थे कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देगें। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध अपराध कमांक 03/18 के अंतर्गत भादिव की धारा 452, 294, 323, 506,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 452 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 05.01.18 को समय 8:00 बजे फिरयादी का घर बाहर शहर चंदेरी में घुसकर उपहित कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

## <u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अब्दुल हमीद, अ.सा.2 गुलचमनवी, अ.सा.3 इरफाना, अ.सा.4 नाजमीन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 अब्दुल हमीद ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को प्रकरण में पेशी के दौरान आरोपीगण से राजीनामा की बात को लेकर कहासुनी एवं वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उनके घर को बाहर खडे थे तथा गाली गलोच कर रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार वाद विवाद बाद वे लोग घर चले गये थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है उनका विवाद घर के अंदर हुआ था। उक्त साक्षी ने इस बात से में इंकार किया है कि आरोपीगण घर के अंदर आ गये थे। इसी प्रकार अ.सा.2 गुलचमन, अ.सा.3 इरफाना एवं अ.सा.4 नाजमीन ने भी अपने कथन में बताया है कि उनका आरोपीगण से घर के बाहर वाद विवाद हुआ था। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण का उनका विवाद घर के अंदर हुआ था। उक्त साक्षीगण ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण का उनका विवाद घर के अंदर हुआ था। उक्त सभी साक्षीगण ने अपने कथन में इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण उनके घर में घुस आए थे।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी अभियोजन साक्षी ने अभियोजन की इस कहानी का सर्मथन नहीं किया है कि आरोपीगण घ ाटना दिनांक को उनके घर मे घुस गये थे। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण फरियादी के घर मे उपहित कारित करने के आशय से घुसे थे। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 452 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति तीन बांस की लाठी एवं एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)